न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 06 / 2025	2025 / 15	26.03.2025	16.07.2025

1. शुभराम पुत्र कालू जाति गुर्जर निवासी ग्राम बधेरीखुर्द तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1 तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

असल रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास कैम्प खैरथल नामान्तकरण संख्या 992 दिनांक 05.02.1983 ग्राम खैरथल तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा।

उपस्थित–

01. श्री हेतराम पोसवाल – वकील अपीलान्ट

–: निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास कैम्प खैरथल के द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 992 निर्णय दिनांक 05.02.1983 ग्राम खैरथल तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 49 रकबा 2 बीधा 2 बिस्वा (0.53 ऐयर) एंव आराजी खसरा न0 215 रकबा 2 बीधा 2 बिस्वा (0.53 ऐयर) कुल किता 2 रकबा 4 बीधा 4 बिस्वा ग्राम खैरथल तहसील किशनगढबास हाल खैरथल में स्थित है, का अभिलिखित काबिज खातेदार काश्तकार गारासिंह पुत्र सोहनसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम सैदपुर बाग खैरथल तहसील किशनगढबास हाल खैरथल था, जिस आराजी को जरिर्ये रजिस्टड विक्रय पत्र दिनाक 16.12.1981 के मिन अपीलान्ट को विक्रय कर दी तथा प्रतिफल की राशि प्राप्त कर मौके पर वास्तविक/भौतिक रूप से कब्जा कराकर उक्त विक्रय पत्र विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानो के अनुसार मिन अपीलान्ट के हक में तहरीर व तकमील कराकर उप पंजियक किशनगढबास के समक्ष पंजीबद्व करा दिया। मिन अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि जरिर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रेता से क्रय की गयी है, तथा वक्त खरीद से ही मिन अपीलान्ट का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी में से बेचान से पूर्व 8 बिस्वा रकबा सडक के लिए अवाप्त हो चूकि था, जिसका नामान्तकरण पी.डबलू.डी विभाग के नाम दर्ज व तस्दीक हो गया उक्त आराजी से विक्रेता व उसके वारिसान बरोज से आज तक गैरकाबिज़ एवं गैरवास्ता है। अपीलान्ट उक्त आराजी के सदभावी क्रेता है, तथा उचित प्रतिफल तथा सरकारी स्टाम्प फीस नियमानुसार अदा कर उपपंजियक किशनगढबास के यहा विक्रय पत्र पंजीबद्व करवाया गया है। विक्रेता के सभी खातेदारी अधिकार मिन अपीलान्ट के हक में निहित हो चुके है। कानूनन रजिस्टड विक्रय पत्र के आधार पर तहत अदालत को उक्त खरीदशुदा भूमि का नामान्तकरण मिन अपीलान्ट के हक में दर्ज किया जाना था। किन्तु तहत अदालत द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त कारण बेचान को गलत मानते हुऐ आलौच्य नामन्तकरण खारिज

अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

उजरात अपील अपीलाण्ट निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

किया गया है। उक्त पंजीबद्व विकय पत्र वर्तमान में अस्तित्व में है इस लिए पंजीबद्व विकय पत्र के आधार पर मिन अपीलान्ट के हक में नामान्तकरण दर्ज किया जाना न्यायसंगत है। तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण का निर्णय राजस्व अभियान कैम्प के दौरान अपीलान्ट को राजस्व अभियान कैम्प की बिना कोई विधिवत सूचना दिये तथा बिना अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये नामान्तकरण खारिज किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के खिलाफ है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व नही थी, दिनाक 30.12.2020 को मिन अपीलान्ट ने किसान केंडिट कार्ड बनावाने के लिए अपनी खरीदशुदा आराजी के राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने के लिए पटवारी हल्का से सर्म्पक किया तो पटवारी हल्का ने मौखिक रूप से जानकारी दी जिस पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। दिनाक 30.12.2020 को ही नकल के लिए आवेदन किया गया जो दिनाक 30.12.2020 को ही तैयार होकर प्राप्त हुई। जिस पर कानूनी सलाह–मशवरा कर अपील हेतु आवश्यक ईन्तजाम कर बिना देरी किये यह अपील न्यायालय के समक्ष पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 05.02.1983 से सर्वप्रथम जानकारी की दिनाक 30.12.2020 तक का समय जानकारी के अभाव में गुजरा है, जो काबिल माफी योग्य है, एवं मियाद में कन्डोन किये जाने योग्य है। अपील किये जाने में हुए विलम्ब को माफ किये जाने हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र दफा 05 कानून मियाद अधिनियम 1963 पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद स्वीकार की जावे, और अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 05.02.1983 नामान्तकरण संख्या 992 ग्राम खैरथल निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 992 निर्णय दिनांक 05.02.1983 वाके ग्राम खैरथल तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा के विरूद्व अपील न्यायालय को दिनाक 28.01.2021 को पेश की गयी है, जो करीब 37 वर्ष एक माह, आठ दिवस पश्चात अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है। विलम्ब के मामलो में दिन प्रतिदिन का विवरण/ब्यौरा पेश किये जाने का प्रावधान है, किन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन की पुष्टि में अत्याधिक विलम्ब का ऐसा कोई ठोस वैधानिक साक्ष्य/सबूत/दस्तावेज पेश नही किया है, जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 के शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वाश किये जाने योग्य नही है। अपील अपीलान्ट मियाद के बाहर पेश किये जाने के कारण मियाद के बिन्दू पर खारिज किया जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दू पर खारिज की जाती है, तहसीलदार किशनगढबास कैम्प खैरथल द्वारा पारित निर्णय दिनाक 05.02.1983 नामान्तकरण संख्या 992 वाके ग्राम खैरथल तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा यथावत रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित–प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/07/25

(शिवपाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा